

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****रिट-सी संख्या -2919 वर्ष 2026**

मोहम्मद शफीक

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

विदेश मंत्रालय के सचिव के माध्यम से भारत संघ, नई दिल्ली और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव प्रकाश मिश्रा, आशीष कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय कक्ष संख्या - 3****माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ****माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडे, जिनके सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे थे, की दलीलें सुनी गईं।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य राहतों के लिए दायर की गई है:

1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से दायर लंबित ऑनलाइन आवेदन संख्या/ एआरएन संख्या 26-2000109501 पर उचित, तत्काल कार्रवाई करने का आदेश और निर्देश दिया जाए, जो याचिकाकर्ता/आवेदक के पक्ष में पासपोर्ट के पुनः जारी करने के लिए है, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, अन्यथा आवेदक को अपूरणीय हानि और क्षति होगी, जिसका विवरण रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 में दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले का निपटारा इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पवन कुमार राजभर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 2 अन्य; रिट-सी संख्या 41540 ऑफ 2023; न्यूट्रल साइटेशन संख्या-2024:एचसी:9963-डीबी में दिए गए फैसले के आलोक में किया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील का प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की ओर से उपस्थित भारत के उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडे ने खंडन किया है। उनकी दलील है कि पवन कुमार राजभर (उपरोक्त) के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है। रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य; याचिका(एं) अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 7481 वर्ष 2024 दिनांक 20.09.2024 के निर्णय और आदेश के अनुसार।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि श्रीमती रीता वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य; रिट-सी संख्या 6450/2024; न्यूट्रल साइटेशन संख्या 2024:एचसी:35201-डीबी में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पवन कुमार राजभर (उपरोक्त) के फैसले को दोहराया था। हालांकि, दिनांक 10.10.2019 के ज्ञापन संख्या VI/401/1/5/2019 के संबंध में संपूर्ण स्थिति की जांच करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीता वर्मा (उपरोक्त) में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:-

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"4. जापन में स्पष्ट शब्दों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने चुनौती दिए गए आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि कार्यालय जापन वैधानिक स्थिति के विपरीत है और रिट याचिका को खारिज कर दिया।"

5. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मलक मनीष भट्ट और भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज की दलीलें सुनीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कार्यालय जापन के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और कानून द्वारा समर्थित नहीं है, तथा यह भारत संघ का भी मत नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कार्यालय जापन के आधार पर अपीलकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं जताई।

6. इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए यह निर्देश देना पर्याप्त होगा कि अधिकारी पासपोर्ट नवीनीकरण के आवेदन पर दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय जापन या इस क्षेत्र में लागू होने वाले किसी अन्य बाद के कार्यालय जापन के आधार पर विचार करें, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 6450/2024 दिनांक 28.02.2024 को पारित आदेश के बावजूद, उचित आवेदन प्राप्त होने पर, उसका यथाशीघ्र निपटारा किया जाएगा।"

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हमारा यह मत है कि अधिकारियों को दिनांक 10.10.2019 के कार्यालय जापन या इस क्षेत्र में लागू होने वाले किसी अन्य बाद के कार्यालय जापन के आधार पर पासपोर्ट के पुनः जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीता वर्मा (उपरोक्त) मामले में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय दिया है। रीता वर्मा (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून वर्तमान मामले में लागू होगा, इसलिए अधिकारियों को कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ)

25 मार्च, 2026

आशुतोष

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।